भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2194
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

विधिक व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री

2194. श्री चंदन चौहान :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिवक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री और प्रत्येक अधिवक्ता के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान की आवश्यकता और व्यवहार्यता के संबंध में कोई अध्ययन या समीक्षा की है ;

(ख) क्या फर्जी अधिवक्ताओं या कानून की फर्जी डिग्रियों के आधार पर वकालत करने वाले व्यक्तियों के मामले सरकार या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संज्ञान में आए हैं और क्या इस समस्या की व्यापकता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री और वास्तविक समय सत्यापन प्रणाली में फर्जी अधिवक्ताओं पर प्रभावी रूप में अंकुश लगाने तथा आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने में मदद मिलेगी ;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, कार्ययोजना और इसकी समय-सीमा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारतीय विधिज्ञ परिषद्, समय-समय पर, अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल रजिस्ट्री और देश में अधिवक्ताओं के लिए एक विशिष्ट डिजिटल पहचान से संबंधित मामलों पर

विचार करती रही है, जिसमें वृत्तिक अभिलेखों के रखरखाव, विधि की डिग्रियों और नामांकन विवरणों तथा संबंधित प्राधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य जैसे मुद्दे सम्मिलित हैं । विधिज्ञ परिषदों के संज्ञान में, समय-समय पर, अमान्य नामांकन विवरणों और विधि की डिग्रियों से संबंधित मामले और शिकायतें लाई गई हैं । भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने प्रमाणपत्र और अभ्यास स्थल (सत्यापन) नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं और वह राज्य विधिज्ञ परिषदों, विश्वविद्यालयों, परीक्षा बोर्डों तथा अन्य संबंधित पणधारियों से परामर्श कर रही है और लागू सांविधिक और प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार ऑनलाइन नामांकन, सत्यापन और वृत्तिक अभिलेखों के एकीकरण से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का परीक्षण कर रही है ।
